मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

RAJASTHAN RMSC MEDICAL SERVICES CORPORATION

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन,सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : प. 4( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2012/285 दिनांक : 27/4/12

समस्त अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
समस्त जिला परियोजना समन्वयक

विषय :– मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत् अत्यावश्यक औषधियां क्रय करने बाबत।
प्रसंग :– प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी. का पत्र क्रमांक एफ. 3( )/आरएमएससी/वित्त/2012/145 दिनांक 25.04.2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त प्रासंगिक पत्र (संलग्न) के क्रम में लेख है कि विभिन्न जिलों द्वारा मांग की जा रही कुछ औषधियां, जो निम्नानुसार है, की आपूर्ति आप तक पहुंचने में अपरिहार्य कारणों से कुछ समय लगने की सम्भावना है। इनकी आपूर्ति के उपरान्त क्वालिटी चैक पूर्ण होने व इन औषधियों को रोगियों को उपलब्ध कराने में और अधिक समय लग सकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए आपके चिकित्सा संस्थान/जिले में इन औषधियों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के अनुसार उपलब्ध 10 प्रतिशत बजट में से इन औषधियों का, लगभग दो माह की आवश्यकतानुसार, क्रय आप द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जाए। आप द्वारा क्रय की जाने वाली औषधियों की आपूर्ति यथाशीघ्र प्राप्त करने के प्रयास किये जाएं।

Tablet Ibuprofen + Paracetamol, Tablet Diclofenac + Paracetamol, Inj. RL, Inj. GNS, Inj. Dextrose 5%, ORS Powder, Tablet Salbutamol 4mg, Tablet Dicyclomine 10mg, Tablet Metformin 500mg, Tablet Ciprofloxacin 500, Tablet Chloroquine 250mg, Syrup Chloroquine, Injection Chloroquine, Tab. Primaquine 2.5mg, Tab. Primaquine 7.5mg, Inj. Amikacin 500mg, Inj. Gentamycin 80mg, Tab. Azithromycin 500mg, Tab. Paracetamol 500mg

उक्त सूची संकेतात्मक (Indicative List) है। इनके अतिरिक्त यदि कोई अत्यावश्यक औषधी आपके जिले/संस्थान में कम अथवा अनुपलब्ध है तो सप्लाई अनुभाग आरएमएससी से उस औषधी का सप्लाई स्टेट्स व शड्यूल ज्ञात कर आप उस औषधी का भी उक्तानुसार स्थानीय क्रय कर सकते है। क्रय करने से पूर्व, क्रय की जाने वाली औषधियों की DDW व चिकित्सालय सबस्टोर पर उपलब्धता की जानकारी अवश्य कर लें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

विशेषाधिकारी
आर.एम.एस.सी.

F:\Deepak Raj\Letter\Letter (Hindi).doc

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

RAJASTHAN RMSC MEDICAL SERVICES CORPORATION

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, स्वास्थ्य भवन,सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228062, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : एफ. 3( )/आरएमएससी/वित्त/2012/145 दिनांक : 25.04.2012

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
मेडिकल कॉलेज,
जयपुर/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा।

प्रधानाचार्य,
राजकीय दन्त महाविद्यालय,
जयपुर।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार से औषधियों हेतु प्राप्त 10 प्रतिशत बजट से अत्यावश्यक औषधियों के क्रय बाबत्।

विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बजट नियंत्रण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु संबंधित बजट शीर्षो में बजट आवंटित किया गया है एवं लेखा अनुदान पारित किया जा चुका है। अतः विभिन्न संबंधित बजट शीर्षों में अत्यावश्यक औषधियों के स्थानीय स्तर पर क्रय हेतु जो राशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है, उसे अविलम्ब नियमानुसार संबंधित अस्पताल अधीक्षक को बजट आवंटित कराएँ जिससे कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना "**मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना**" का प्रभावी क्रियान्वयन सम्पादित हो सके।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार औषधियों हेतु कुल आवंटित बजट का 10 प्रतिशत का आवंटन प्रतिवर्ष संबंधित बजट शीर्षों में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा के अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों हेतु किया जाना है एवं 2012–13 (B.E.) में यह राशि आपको आवंटित भी की गई है। अतः आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों के लिए स्थानीय स्तर पर औषधियों के क्रय हेतु संबंधित बजट शीर्षों में नियमानुसार 10 प्रतिशत बजट अविलम्ब उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कराएँ तथा अत्यावश्यक औषधियों का क्रय कर रोगियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करायें।

प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उपशासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

प्रबंध निदेशक